



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी ।

प्रेस-नोट

दिनांक- 01.11.2022

थाना रामनगर पुलिस द्वारा लूट के अभियोग से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभिषेक कुमार भारती को गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 01.11.2022 को थाना रामनगर पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर खास सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 0124/2022 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभिषेक कुमार भारती पुत्र शिवमूरत भारती निवासी बहरामागंज थाना चुनार जनपद मिर्जापुर उम्र 20 वर्ष को बन्दरगाह रोड के सामने हाईवे पर समय लगभग 11.15 बजे गिरफ्तार किया गया । उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग :- मु0अ0सं0-0124/2022 धारा 392 भा0द0वि0 थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।

पंजीकृत अभियोग का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 12.07.2022 को वादी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दिया कि दुर्गाकुण्ड कोचिंग से अपने घर आ रहा था कि पी.एन. कालेज के सामने स्थित मजार के पास पहुंचा था कि उसके दोस्त का फोन आ गया वह उससे बात करने लगा तभी दो अज्ञात व्यक्ति स्पेलेंडर मोटर साइकिल से आए और उसका मोबाइल जिसका नं0 6205884053 OPPO A16 जिसका IMEI NO. 861144058426317 व 861144058426309 है को छीनकर भाग गए । इस सम्बन्ध में वादी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0124/2022 धारा 392 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

1. अभिषेक कुमार भारती पुत्र शिवमूरत भारती निवासी बहरामागंज थाना चुनार जनपद मिर्जापुर उम्र 20 वर्ष ।

गिरफ्तारी/बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान :- दिनांक- 01.11.2022, समय 11.15 बजे, स्थान- बन्दरगाह रोड के सामने हाईवे पर ।

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री राकेश कुमार सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. का0 विनोद कुमार पाण्डेय थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
कार्यालय पुलिस उपायुक्त
जोन-काशी, कमिश्नरेट
वाराणसी।